7

COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2017

प्रस्तुती दिनांक : 31/07/2017

## माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर

PBR/निगरानी/धार/भू-रा/2017/2969

1— राधेश्याम पिता श्रीकिशन जाति रघुवंशी
निवासी — ग्राम भोण्डिया तहसील व जिला धार

2— तेजुबाई पति राधेश्याम श्रीकिशन जाति रघुवंशी
निवासी — ग्राम भोण्डिया तहसील व जिला धार — प्रार्थीगण

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ............ प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 02-08-2017 को प्रस्तुत।
536
02-08-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1— भेरूसिंह पिता देवाजी जाति भील
निवासी — ग्राम भोण्डिया तहसील व जिला धार

2— कलाबाई पति भेरूसिंह जाति भील
निवासी — ग्राम भोण्डिया तहसील व जिला धार— प्रतिप्रार्थीगण

## निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता

इसमे प्रार्थीगण श्रीमान तहसीलदार महोदय धार वृत्त—4 सागोर तहसील व जिला धार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 12/अ—13/13—14 में पारित आदेश दि. 23.06.2017 से असन्तुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते है।

स्थगन आदेश एवं निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग/धार/भू.रा./2017/2969 जिला धार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1–11–2017 | आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–6–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होन से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |